

तारीख हुक्म

22-07-24

श्रीमान् जिला कलक्टर बाइमेर के आदेश
क्रमांक-प() () कार्मिक /2023/4613
दि. 11.03.2023 के हुक्म में यह पत्रावली
गयालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु से
स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। जो नए मुकदमा
संख्या में दर्ज होकर आयन्दा उभय पक्षकारन
दिनांक...13.11.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाइमेर

13.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता वादी व वादीगण के नाम
से अलग-अलग समय पर तीन बार
आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि
अधिवक्ता वादी एवं वादी अपने
वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिटाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी'
व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दारखिल
दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

13/11/24
सहायक कलक्टर
(SDO), बाइमेर

